

तारीख हुकम	हुकम पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
19-04-2018	<p>वकील अपीलान्त उपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा समायत शुदा बहस व पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13-3-2015 को उभयपक्षों के अधिवक्ता की उपस्थिति में दिनांक 8-5-2015 की तारीख तय की गई तथा उक्त दिनांक को प्रतिवादी संख्या-4 के कायम मुकाम में पत्रावली लम्बित थी तथा अन्य पक्षकारान प्रतिवदीगण/अपीलान्त इत्यादी के जवाब में पत्रावली लम्बित थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 8-5-2015 को नियत तिथि के बाद पत्रावली दिनांक 8-5-2015 के स्थान पर दिनांक 12-6-2015 को पत्रावली में अपीलान्त प्रतिवादी को सूचित किये बिना व सुने बिना प्रकरण में रेस्पोंडेन्ट वादी की उपस्थिति में बिना जवाब, साक्ष्य व विधिक प्रक्रिया का पालना किये वादी रेस्पोंडेन्ट का वाद डिक्री कर दिया दिया जो प्रथम दृष्टया ही प्राकृतिक न्याय, विधि व विधिक प्रक्रिया के प्रतिकूल है।</p> <p>अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12-6-2015 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ <b>प्रतिप्रेषित</b> किया जाता है कि प्रकरण में लम्बित विविध आवेदन का निस्तारण कर उभयपक्षों को विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए जवाब व साक्ष्य सबूत लेकर पुनःनिर्णय पारित करें।</p> <p>पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दप्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19-04-2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">( एल.एन. मंत्री ) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</p>	

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Ud-D 55/2015 श्री पांचा बनाम श्री हरकलाल

---

---

--	--	--

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Ud-D 55/2015 श्री पांचा **बनाम** श्री हरकलाल

---

---

--	--	--

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Ud-D 55/2015 श्री पांचा बनाम श्री हरकलाल

---

---

--	--	--

**डिगरी व सीगे अपील**

( ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ. ....मुकाम .....  
**उदयपुर** व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

श्री गणेश लाल नागदा पिता **बनाम** श्री भंवर लाल पिता श्री तेजपाल  
 श्री कालूलाल नादा निवासी कटारिया निवासी 343 भोपालपुरा  
 पुला शोभागपुरा रोड़ पटवार मण्डल उदयपुर (राज0)  
 के पास शोभागपुरा स्कूल के सामने अन्य 10 व सरकार  
 तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

अपील नं0 84/2012 बनाराजगी डिगरी अदालत ..... सहायक कलक्टर मु0.....  
 ..... उदयपुर ..... मुकाम मुखर्षे.....27..... माह .....02..... 1993

**दावा बाबत**

यह अपील व तारीख ..... 15..... माह .....06..... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व  
 हाजरी ....श्री सत्य प्रकाश व्यास ..... मिनजानिब अपीलान्त व .....श्री संजय बोहरा ....  
 ..... रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अतः अपील अपीलान्त दूषित  
 (Defectiv) होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक  
 27-2-1993 यथावत रखा जाता है।

( खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा  
 करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....15..... माह ...06..... 2016 को  
 जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री )

**भू-प्रबन्ध अधिकारी**  
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**  
**उदयपुर**

**खर्चा अपील**

अपीलान्त	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील .....					
2. स्टाम्प वकालत नामा.....					
3. इजराय हुक्मनामा .....					
4. वकील फीस बाबत .....					
मीजान .....					

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये  
 दिलाया गया हो।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Ud-D 55/2015 श्री पांचा बनाम श्री हरकलाल

---

**डिगरी व सीगे अपील**

( ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ. ....मुकाम .....  
 उदयपुर व इजलास ..... एल.एन. मंत्री आर.ए.एस. ....

श्री गांगा पिता देवा डांगी  
 निवासी खेड़ी तहसील गिर्वा  
 जिला उदयपुर (राज0)  
 अन्य -2

**बनाम** श्री भंवर लाल पिता श्री कालूलाल  
 निवासी गांव खेड़ी तहसील गिर्वा  
 जिला उदयपुर (राज0)  
 अन्य-6

अपील मूत नं0 3/2015 बनाराजगी डिगरी अदालत .....भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी .....उदयपुर ..... मुकाम मुखर्ष.....08.....  
 माह .....07..... 2015

**दावा बाबत**

यह अपील व तारीख ..... 25..... माह .....05..... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व  
 हाजरी ....श्री मन्नाराम डांगी ..... मिनजानिब अपीलान्त व .....श्री .....  
 ..... रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुकम हुआ कि ..... प्रकरण में  
 वकील अपीलान्त द्वारा पेश शुदा आवेदन दफा-152 जाब्ता दीवानी का अवलोकन  
 किया गया तो यह पाया गया कि इस न्यायालय द्वारा जारी डिक्री अन्तर्गत प्रकरण  
 संख्या 46/2004 निर्णय दिनांक 8-7-2010 में अंकित आराजी नं0 3261 रकबा 0.  
 800 हैक्टर लिपिकीय/टंकण त्रुटि से गलत अंकित हो गया है। इसके स्थान पर  
 आराजी नंबर 3231 रकबा 0.0800 हैक्टर अंकित किया जावे।

( खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रुपये..... X .....अदा  
 करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....14..... माह ...06..... 2016 को  
 जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री )

भू-प्रबन्ध अधिकारी  
 एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
 उदयपुर

**खर्चा अपील**

अपीलान्त	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
5. स्टाम्प अपील .....					
6. स्टाम्प वकालत नामा.....					
7. इजराय हुकमनामा .....					
8. वकील फीस बाबत .....					
मीजान .....					

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये  
 दिलाया गया हो।